(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

8/8/2022 — पत्रावली अधिष्ठाता की लेखाधिकारी चतुर्थ के प्रारूप के क्रम में विलम्ब से प्राप्त होना पाया गया। चिकित्सा अधिष्ठाता की लेखाधिकारी द्वारा की गई प्रार्थिका एवं अधिष्ठाता की लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पत्रावली प्रार्थिका एवं अभियोगियों के मध्य आपसी समझाईश से रफा-दफा हो गया है। विशेष कारण अब में प्रार्थिका के प्रारूप में आगे कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहती है। प्रकरण का स्थगित किया जाना चाहती है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिका स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया। मनन किया। प्रार्थिका द्वारा दी गई लिखित में अभिलेख कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। पत्रावली एवं एकीकृत किया जाना प्रार्थिका एवं प्रार्थित का प्रार्थना पत्र एवं अन्य उचित प्रतीत होता है। प्रार्थिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 202 RTA 1989 के विधान में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्डाल की जावे। आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:49:02 IST
Reason: SelfAttested